समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Saturday, 19 September 2026

आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025: टेक्निकल गड़बड़ियों से परेशान कर रहे टैक्सपेयर्स

Sanket Morankar Published on 13 Sep 2025

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 नज़दीक है और करदाताओं के लिए समय कम होता जा रहा है। इस साल भी टेक्निकल गड़बड़ियाँ टैक्सपेयर्स की परेशानी का मुख्य कारण बन रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल बार-बार स्लो हो रहा है, लॉगिन में समस्या आ रही है और फॉर्म सबमिशन में बार-बार एरर दिखाई दे रहे हैं।

🔍 आईटीआर फाइलिंग की स्थिति

आयकर विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आम तौर पर ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है, लेकिन AY 2025-26 के लिए इसे **15 सितंबर** तक बढ़ा दिया गया। अभी केवल **3 दिन** बचे हैं और लाखों करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है।

🔍 तकनीकी गड़बड़ियाँ और टैक्सपेयर्स की समस्या

इस बार कई करदाता शिकायत कर रहे हैं कि:

- ई-फाइलिंग पोर्टल बार-बार स्लो हो जाता है।
- फॉर्म भरने के बाद सबमिट करते समय एरर आ रहा है।
- ई-चालान और पेमेंट प्रोसेसिंग में दिक्कतें।
- लॉगिन सेशन बार-बार टाइमआउट हो रहा है।

इन तकनीकी परेशानियों ने करदाताओं में तनाव बढ़ा दिया है। कई लोग सोशल मीडिया और फ़ोरम्स पर अपने अनुभव शेयर कर

रहे हैं और विभाग से डेडलाइन एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं।

[?] एक्सपर्ट्स की सलाह

कर और वित्तीय विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

1. पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले इंटरनेट कनेक्शन जांच लें।
2. फॉर्म भरते समय आधे-अधूरे डेटा को सेव करते रहें।
3. ई-चालान के लिए नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल करें।
4. यदि पोर्टल डाउन है, तो धीरे-धीरे और बार-बार प्रयास करते रहें।
5. अंतिम समय तक इंतजार न करें, क्योंकि डेडलाइन के पास ट्रैफिक और गड़बड़ियाँ बढ़ जाती हैं।

[?] आयकर विभाग की प्रतिक्रिया

आयकर विभाग ने कहा है कि वे तकनीकी गड़बड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करने के प्रयास में हैं। विभाग ने ट्विटर और ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अपडेट दिया है कि करदाता लगातार पोर्टल पर प्रयास करें और आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

[?] डेडलाइन एक्सटेंशन की संभावना

हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर करदाताओं की भारी संख्या और तकनीकी परेशानियों को देखते हुए **डेडलाइन एक्सटेंशन** की संभावना को कम नहीं आंकना चाहिए।

[?] निष्कर्ष

आयकर रिटर्न की फाइलिंग अभी भी करदाताओं के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। समय कम है और तकनीकी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्द से जल्द ITR फाइल करना और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। Samacharwani की टीम की सलाह है कि सभी करदाता अपने ITR फाइलिंग काम को जल्द पूरा करें ताकि अंतिम समय की भागदौड़ और तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.